समाहरणालय, मुंगेर

(जिला पंचायत राज कार्यालय)

आदेश

प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज के पत्रांक-1070/दिनांक-08.10.2018 के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में श्री सुरेश कुमार यादव, पंचायत सचिव, तत्कालीन ग्राम पंचायत राज, सजुआ, प्रखंड कार्यालय, असरगंज एवं वर्त्तमान प्रखंड कार्यालय, सदर मुंगेर के द्वारा ग्राम पंचायत राज सजुआ के वार्ड सं0-13, में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की कुल 14 योजनाओं की राशि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के मार्गदर्शिका के विपरीत जाकर कुल मो0 38,90,124/-(अड़तीस लाख नब्बे हजार एक सौ चौबीस) रूपये की निकासी सीधे ग्राम पंचायत स्तर से किये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया।

इस कार्यालय के पत्रांक-1428/पं0, दिनांक-10.12.2018 के द्वारा पंचायत सचिव के विरूद्ध विधिवत् प्रपत्र-क गठन कर अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर के माध्यम से उपलब्ध कराने का निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज को दिया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी तारापुर के पत्रांक-187, दिनांक:-02.02.2019 के द्वारा श्री सुरेश कुमार यादव, पचांयत सचिव, ग्राम पंचायत राज सजुआ के विरूद्ध विधिवत् प्रपत्र-क गठित कर प्राप्त कराया गया।

आरोप का विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या :- 01.
श्री सुरेश कुमार यादव पूर्व पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सजुआ द्वारा पंचायत में संधारित मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के खाते से कुल मो0 38,90,124/-(अड़तीस लाख नब्बे हजार एक सौ चौबीस) रु0 की निकासी की गई है, जिसे सीधे अपने स्तर से पंचायत के वार्ड सं0 13 में व्यय की गई है।
आरोप संख्या- 02.
बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली- 2017 के प्रावधानों एवं सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में सात निश्चय योजनाओं का कार्यान्वयन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा ही किया जाना है। योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा दी जाती है और आवश्यक राशि का अंतरण वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में अग्रिम रूप से किया जाता है। ग्राम पंचायत स्वयं वार्ड में इन सात निश्चय योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं करा सकती है।
आरोप संख्या- 03.
उक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि श्री सुरेश कुमार यादव निजी लाभ के लिए नियम के विरुद्ध अपने नाम से चेक के माध्यम से राशि की निकासी किये हैं एवं सरकारी राशि के दुरूपयोग एवं अस्थायी गबन के दोषी हैं।

उपरोक्त प्रपत्र-'क' में लगाये आरोप का अनुमोदन करते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-569/पं0, दिनांक-25.06.2019 के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता, मुंगेर एवं उपस्थापन पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज को नामित किया गया।

अपर समाहर्त्ता, मुंगेर-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-299/रा0, दिनांक-15.02.2020 के द्वारा श्री सुरेश कुमार यादव, पंचायत सचिव, तत्कालीन ग्राम पंचायत राज, सजुआ, प्रखंड कार्यालय, असरगंज एवं वर्त्तमान प्रखंड कार्यालय, सदर मुंगेर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सम्पन्न कर अभिलेख प्राप्त कराया गया है, जिसमें संचालन पदाधिकारी के द्वारा प्रपत्र-'क' में लगाये गये दोनों आरोप प्रमाणित पाये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया है।

संचालन पदाधिकारी-सह-उप विकास आयुक्त, मुंगेर के निष्कर्ष, उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं आरोपी कर्मी के द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण का विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या एवं आरोप	आरोपी पंचायत सचिव का कारण पृच्छा	उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य	संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष
1	2	3	4
आरोप संख्या :- 01. श्री सुरेश कुमार यादव पूर्व पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सजुआ द्वारा पंचायत में संधारित मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के खाते से कुल मो0 38,90,124/-(अड़तीस लाख नब्बे हजार एक सौ चौबीस) रु0 की निकासी की गई है, जिसे सीधे	श्री यादव द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया है कि दिनांक 19.01.2017 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार पटना का कार्यक्रम निर्धारित था। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सात निश्चय योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण योजना एवं मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के	उपस्थापन पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज के पत्रांक-1566 दिनांक-19.11.2019 द्वारा मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपी का जवाब मान्य नहीं है। पंचायत को प्राप्त सात निश्चय की राशि को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से ही व्यय किया जाता है। राशि को पंचायत स्तर से पंचायत सचिव के द्वारा राशि स्वयं से आहरित कर व्यय करना मार्गदर्शिका के विरुद्ध है। भवदीय के कार्यालय में संबंधित पंचायत सचिव द्वारा उपस्थापित अभिलेखों के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि राशि की निकासी	उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य तथा अंकित योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री के दिनांक 19.01.2019 को संभावित आगमन को देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज ने अपने पत्रांक 41 दिनांक 16.01.2017 के द्वारा असरगंज प्रखंड अंतर्गत मासूमगंज ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में आवंटन के प्रत्याशा में

अपने स्तर से पंचायत के वार्ड सं0 13 में व्यय की गई है।	चल रहे कार्यों की समीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित था, जिसमें मुंगेर जिला के असरगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत राज सजुआ एवं सदर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज श्रीमतपुर का कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था। इन्हीं दो ग्राम पंचायतों में चल रहे योजनाओं की समीक्षा की जानी थी, जिसमें तत्कालीन जिला पदाधिकारी, महोदय मुंगेर एवं उप विकास आयुक्त, मुंगेर एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज के द्वारा ग्राम पंचायत राज सजुआ के वार्ड संख्या-13 का चयन किया गया।	संबंधित पंचायत सचिव द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 वाद सं0 19591 दिनांक-17.05.2017 के आदेश का हवाला देकर व्यय किया गया है। जबकि उनके स्पष्टीकरण में इन्होंने भवदीय को स्पष्ट किया है कि राशि की निकासी तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज के प्रशासनिक स्वीकृति जो पत्रांक- 41 दिनांक-16.01.2017 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के संभावित कार्यक्रम जो कि जनवरी 19.01.2017 को प्रस्तावित था के मद्देनजर राशि की प्रत्याशा में केवल 01 (एक) योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना हेतु दी गई थी। जबकि सभी योजनाओं का कार्य प्रारंभ माह मई 2017 में किया गया है। जैसा कि योजनाओं के अभिलेखों एवं पासबुक के राशि निकासी से स्पष्ट होता है। (अनुलग्नक संलग्न) ऐसी स्थिति में नल-जल योजना को छोड़ कर बांकी सभी योजनाओं को किसकी अनुमति से की गई यह पूछना आवश्यक होगा। साथ ही गौरतलब है कि प्रश्नगत पत्र 41 दिनांक 16.01.2017 में प्रशासनिक स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के आगमन के मद्देनजर दी गई थी। जबकि कार्य प्रारंभ माह मई 2017 में की गई। अतः संबंधित पत्र की प्रासंगिकता भी समाप्त हो जाती है। साथ ही पंचायत को राशि माह फरवरी में ही समाप्त हो गई थी। अगर संबंधित पत्र के निर्देश में राशि का व्यय किया गया तो राशि प्राप्त होने के उपरांत स्वीकृति प्राप्त किया जाना चाहिए था। जबकि ऐसी कोई स्वीकृति राशि प्राप्त होने के उपरांत अथवा व्यय होने के उपरांत आजतक प्राप्त नहीं की गई। संबंधति पंचायत सचिव सजुआ के द्वारा आजतक ग्राम पंचायत सजुआ को अभिलेखों का हस्तांतरण नहीं किया गया है। साथ ही प्रखंड को भी किसी प्रकार का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है।	पेयजल (जल-नल) मात्र एक योजना प्रारंभ करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। उक्त प्रदत्त स्वीकृति के पश्चात आरोपी द्वारा विलंब से माह मई, 2017 में पेयजल (जल-नल) योजना के साथ-साथ अन्य योजना भी यथा पक्का नाला निर्माण, मिट्टी भराई कार्य एवं ईंट सोलिंग एवं पी0सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य सात निश्चय योजना की राशि को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन के माध्यम से व्यय न कर माननीय उच्च न्यायालय में मुखिया संघ द्वारा दायर वाद सं0 19591/2016 का हवाला देते हुए आरोपी द्वारा अपने नाम से निर्गत चेक द्वारा आवंटन की राशि की निकासी कर योजना अभिकर्ता के रूप में व्यय किया गया है। जो सरकार के सचिव, पंचायती राज विभाग के आदेश ज्ञापांक 6846/ पं0रा0, पटना दिनांक 25.10.2016 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत दिशा-निर्देश के पारा-04 (मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का क्रियान्वयन) तथा पारा-4.5 (वार्ड स्तरीय संरचना) में दिये गये दिशा-निर्देश के विरुद्ध है। सात निश्चय योजना के प्राप्त मार्गदर्शिका के विरूद्ध है। उपस्थापन पदाधिकारी के कथनानुसार प्राप्त आवंटन की राशि के व्यय उपरांत आज तक आरोपी द्वारा योजनाओं के अभिलेख पर प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्वीकृति नहीं प्राप्त करने तथा संबंधित अभिलेखों को सजुआ ग्राम पंचायत को हस्तांतरित नहीं करना उनकी मनमानी तथा स्वेच्छाचारिता का द्योतक प्रतीत होता है।
आरोप संख्या- 02. बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली- 2017 के प्रावधानों एवं सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में सात निश्चय योजनाओं का कार्यान्वयन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा ही किया जाना है। योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा दी जाती है और आवश्यक राशि का अंतरण वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में अग्रिम रूप से किया जाता है। ग्राम पंचायत स्वयं वार्ड में	आरोपी के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित किया गया है कि तत्कालीन समय में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की राशि के निकासी के संबंध में सही मार्गदर्शिका प्राप्त नहीं रहने के कारण मुखिया संघ के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 वाद संख्या 19591/2016 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका दायर किया गया, जिसमें उस समय राशि की निकासी कर किस स्तर से व्यय किये जाने का सही विभागीय मार्गदर्शिका उपलब्ध नहीं था।	उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा आरोपी के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को मान्य नहीं है कहते हुए प्रतिवेदित किया गया कि बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली 2017 के प्रावधानों एवं सरकार के मार्गदर्शिका के आलोक में सात निश्चय योजनाओं का क्रियान्वयन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा भी किया जाता है। पंचायत सचिव, सजुआ, ग्राम पंचायत द्वारा अपने ही स्तर से राशि की निकासी कर राशि व्यय कर दी गई है, जो मार्गदर्शिका के विपरीत है। साथ ही पत्रांक 41 दिनांक 16.01.2017 के आलोक में कहना है कि तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज द्वारा माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के आगमन को देखते हुए वार्ड संख्या 13 में आवंटन की प्रत्याशा में केवल नल-जल हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु उक्त पत्र का भी अनुपालन पंचायत सचिव द्वारा नहीं करते हुए जनवरी माह में	सात निश्चय योजना के तहत बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली- 2017 के प्रावधानों एवं सरकार द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक 6846/ पं0रा0, पटना, दिनांक 25.10.2016 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शिका के विरुद्ध आरोपी पंचायत सचिव द्वारा योजना के क्रियान्वयन पर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से राशि का व्यय न कर आरोपी पंचायत सचिव द्वारा स्वयं योजना अभिकर्ता के रूप में व्यय किया जाना तथा राशि के व्यय करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुमति भी नहीं लिये जाने के कारण आरोपी द्वारा मनमानी करने एवं अनुशासनहीनता का परिचायक परिलक्षित स्पष्ट प्रतीत होता है।

इन सात निश्चय योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं करा सकती है।		माननीय मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर कार्य प्रारंभ नहीं करते हुए कार्य का प्रारंभ माह मई में किया गया। अतः पत्र के आलोक में ससमय कार्य प्रारंभ नहीं करने से पत्र की प्रासंगिकता नहीं समाप्त हो जाती है। साथ ही उक्त पत्र में गली-नाली से संबंधित किसी प्रकार का निर्देश नहीं दिया गया था। गौरतलब हो कि पंचायत के खाते में राशि माह फरवरी 2017 में ही प्राप्त हो गई थी। राशि प्राप्त होने पर इनको राशि निकासी एवं व्यय हेतु तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए थी। लेकिन इनके द्वारा अपने प्रखंड, असरगंज में पदस्थापन माह जुलाई 2018 तक किसी प्रकार का पत्राचार भी इस संदर्भ में नहीं किया गया जो इनकी स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है।	
<u>आरोप संख्या- 03.</u> उक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि श्री सुरेश कुमार यादव निजी लाभ के लिए नियम के विरुद्ध अपने नाम से चेक के माध्यम से राशि की निकासी किये हैं एवं सरकारी राशि के दुरूपयोग एवं अस्थायी गबन के दोषी हैं।	आरोप संख्या-03 के संबंध में आरोपी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तत्कालीन पदाधिकारी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को चयनित वार्ड में कार्यो का निरीक्षण हेतु कार्य करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें वार्ड संख्या-13 में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज (श्री सूरज कुमार) के द्वारा जिसका पत्रांक 41 दिनांक 16.01.2017 के द्वारा मुखिया एवं पंचायत सचिव को आवंटन की प्रत्याशा में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का कार्य करने का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। तदोपरांत मेरे द्वारा वरीय पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश के आलोक में ग्राम पंचायत राज सजुआ के वार्ड संख्या-13 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का कार्य होने के उपरांत मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण योजना का कार्य किया गया। उक्त कार्य होने के उपरांत कार्य की समीक्षा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त महोदय एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर के द्वारा 02 जनवरी 2017 से 18 जनवरी 2017	आरोप सं0 03 के संदर्भ में आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपी द्वारा राशि की निकासी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनियमित ढंग से की गई है। राशि पंचायत सचिव, सजुआ के द्वारा निकासी स्वयं के नाम से करते हुए व्यय किया गया है। व्यय करने की अनुमति भी इनको प्राप्त नहीं था। साथ ही दिनांक 25.09.2019 तक इनके द्वारा किसी भी योजना से संबंधित अभिलेख पंचायत सचिव, सजुआ को उपलब्ध नहीं कराया गया। पंचायत सचिव, सजुआ का प्रतिवेदन संलग्न।	असरगंज प्रखंड के मासूमगंज वार्ड नं0 13 में माननीय मुख्यमंत्री के दिनांक 19.01.2019 को संभावित आगमन को देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज द्वारा अपने पत्रांक 41 दिनांक 16.01.2017 के द्वारा मात्र 01(एक) योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना प्रारंभ करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। परंतु प्राप्त अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार आरोपी ससमय योजनाओं का कार्य प्रारंभ न कर विलंब से माह मई 2017 में प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा मात्र 01 (एक) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के प्रारंभ करने हेतु प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य योजना यथा पक्का नाला निर्माण, मिट्टी भराई कार्य एवं ईंट सोलिंग एवं पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य संबंधी कुल 13 योजनाओं का कार्य कराया गया है। सुनवाई के दौरान आरोपी से प्रश्न किया गया कि माननीय मुख्मंत्री के संभावित आगमन को देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी के पत्रांक 41 दिनांक 16.01.2017 द्वारा एक योजना नल-जल की स्वीकृति प्रदान की गई थी तो आपने अन्य 13 योजनाओं का कार्य किनके अनुमति से किया है। इस प्रश्न के उत्तर में आरोपी द्वारा लिखित या मौखिक रूप से कोई उत्तर नहीं दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय में मुखिया संघ द्वारा दायर वाद सं0 19591/2016 का हवाला देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी से बिना अनुमति प्राप्त किये ही उक्त योजनाओं का कुल 38,90,134/- (अड़तीस लाख नब्बे हजार एक सौ चौतीस) रुपये की निकासी कर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन के माध्यम से व्यय न कर

	तक प्रतिदिन आकर कार्यों का स्वयं निरीक्षण करते थे। जिसकी जानकारी वार्ड संख्या 13 के ग्रामीणों से पूछा जा सकता है। मेरे द्वारा उक्त समय में अधोलिखित कुल-14 योजनाओं का अभिलेख को संधारित किया गया। जिसका आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज द्वारा दिया गया। उक्त सभी योजनाओं का कुल प्राक्कलित राशि का योग मो0-39,36,700/- रूपये मात्र तथा इन सभी योजनाओं को पूर्ण करने हेतु व्यय की गयी राशि कुल मो0-38,90,134/- रूपये मात्र है। उक्त राशि का व्यय इन सभी योजनाओं को पूर्ण करने हेतु मेरे द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारियों के निदेश के आलोक में किया गया। कुल 14 योजनाओं की संचिका मेरे द्वारा खोला गया तथा इन सभी योजनाओं का उसी वक्त पूर्ण किया गया था मापी-पुस्त भी दर्ज किया गया। उक्त सभी योजनाओं का कार्य मेरे द्वारा वरीय पदाधिकारियों के आदेश एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज के प्रशासनिक स्वीकृति के आदेश के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री के निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप उक्त वार्ड में कार्य प्रारंभ किया गया एवं वरीय पदाधिकारियों के देख-रेख में सभी कार्यों को नियमानुसार पूर्ण भी करा लिया गया। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय अनियमितता नहीं कि गयी है। ना ही राशि निकाल कर अपने पास रखा गया है। उक्त इन सभी कुल 14 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर अभिलेख संधारण कर बंद कर दिया गया। आरोपी द्वारा उक्त आरोप से मुक्त करने हेतु अनुरोध करते हुए कहा		अपने नाम (पंचायत सचिव) से चेक निर्गत कर योजना अभिकर्ता के रूप में किया गया है जो सात निश्चय योजना के तहत बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली 2017 के प्रावधानों एवं सरकार द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक 6846/ पं0रा0, पटना दिनांक 25.10.2016 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शिका के विरुद्ध है। अतः उपरोक्त सभी विंदुओं, अभिलेखों के अवलोकन एवं विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आरोपी के विरुद्ध प्रपत्र-क में गठित आरोपों एवं उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण पर दिये गये मंतव्य के आलोक में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित होता है।

	गया कि इसके अतिरिक्त यह भी कहना है कि यदि मेरे द्वारा इस कार्य को नहीं किया जाता तो भी इस कार्य को दोषी होता कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार पटना के आगमन के दौरान मेरे द्वारा वरीय पदाधिकारियों के आदेश के बावजूद मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्यों में बाधा डाला गया और अपने से वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना किया गया। जिसकी सत्यता की जाँच अपने स्तर से वार्ड संख्या-13 मे किये गये कार्यों के संवंध में वार्ड के ग्रामीणों से पूछ-ताछ कर किया जा सकता है।		

विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-709/पं0, दिनांक-15.06.2020 के द्वारा श्री सुरेश कुमार यादव, पंचायत सचिव, तत्कालीन ग्राम पंचायत राज सजुआ, प्रखंड कार्यालय, असरगंज एवं वर्त्तमान प्रखंड कार्यालय, सदर मुंगेर से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई।

श्री यादव, पंचायत सचिव के द्वारा दिनांक-17.06.2020 को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया, जो संतोषजनक नहीं है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर के पत्रांक-1886/दिनांक-13.11.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सुरेश कुमार यादव, पंचायत सचिव की मृत्यु दिनांक-13.10.2020 को हो गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यो के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, आरोपी कर्मी के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब संतोषजनक समर्पित नहीं किए जाने के कारण समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए मैं रचना पाटिल, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता-सह-दण्डाधिकारी, मुंगेर अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-8811/दिनांक-18.072017 के कंडिका-04 में अंकित **"विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में विचारण के किसी भी चरण में आरोपित सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा मृत्यु की सूचना का उल्लेख करते हुए संबंधित आरोप प्रकरण को संचिकास्त कर दिया जायेगा।"** के आलोक में आरोपी की मृत्यु हो जाने के कारण विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 04 **/पं0, दिनांक** 02/01/2021

प्रतिलिपि- स्व0 सुरेश कुमार यादव, पंचायत सचिव, तत्कालीन ग्राम पंचायत राज, सजुआ, प्रखंड कार्यालय, असरगंज एवं वर्त्तमान प्रखंड कार्यालय, सदर मुंगेर के आश्रित पत्नी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज एवं सदर मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्र0 वि0 पदाधिकारी, सदर मुंगेर को आदेश दिया जाता है कि इस आशय की प्रविष्टि इनकी सेवापुस्त में दर्ज करते हुए इसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ भेजना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- उप विकास आयुक्त, मुंगेर /अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मुंगेर एवं तारापुर/भूमि सुधार उप समाहर्ता मुंगेर एवं तारापुर/कोषागार पदाधिकारी मुंगेर एवं प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, मुंगेर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एंव मुंगेर जिले के वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी ,
मुंगेर।